उपायुक्त का न्यायालय, हजारीबाग

राज्यसात अपील वाद संख्या–03/2018

लालबाबू यादव

–बनाम–

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी प्रमण्डल, हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
दिनांक :- 20/07/23	प्रस्तुत अपील वाद बड़कागांव (उरीमारी) थाना काण्ड संख्या 94/2015 से संबंधित राज्यसात वाद संख्या–70/2015 मामले में न्यायालय प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पश्चिमी प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा दिनांक 30.12.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। राज्यसात वाद संख्या–70/2015 में दिनांक 30.12.2017 को पारित आदेश के अनुसार दिनांक 19.05.2015 को करीब 01:30 बजे रात्रि में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पसेरिया के टोला चिरवा के पुरब जंगल के पास से एक ट्रक पर अवैध कोयला लोड किया जा रहा है जिसे त्वरित कार्रवाई करने पर पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना के सत्यापन हेतु अपने साथ सशस्त्र बल सहित ग्राम पसेरिया टोला चिरवा के पूरब जंगल बेडा टांड की तरफ बढे तो देखे कि एक ट्रक में कोयला लोड किया जा रहा है। पुलिस को अपनी ओर आते देख ट्रक पर कोयला लोड कर रहे लोग एवं अन्य लोग भागने लगे तथा अंधेरा का लाभ उठा कर भागने में सफल हो गये। ट्रक के नजदीक आने पर देखे तो पाये कि ट्रक संख्या JH-02P-3037 पर करीब 07 टन स्टीम कोयला लदा हुआ तथा 05 टन जमीन पर पडा हुआ पाया। काफी इन्तजार पर जब कोई व्यक्ति उक्त कोयला एवं ट्रक से संबंधित कागजात प्रस्तुत नहीं किया तो दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष विधिवत जप्ती सूची बनाकर ट्रक संख्या JH-02P-3037 एवं उसपर लदे 07 टन कोयला एवं जमीन पर पडे 05 टन कोयला को जप्त किये जिस पर दोनों साक्षियों ने स्वेच्छा से अपने–अपने हस्ताक्षर बना दिये। अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि अभियुक्तों द्वारा इन्दिरा जंगल नापो अधिसूचित वन के प्लॉट संख्या 2510 से अवैध कोयला का खनन कर अवैध व्यापार करने हेतु कोयला लोड कर परिवहन कर लाया जा रहा था।	

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

अपीलार्थी लालबाबू यादव द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपरोक्त राज्यसात वाद में जप्त ट्रक की विमुक्ति हेतु अपील आवेदन दायर करते हुए लिखित अभिकथन समर्पित किया गया जो निम्नवत हैः—

(1) अपीलार्थी द्वारा यह तर्क दिया गया कि जप्त ट्रक मालिक की उपस्थित में जप्त नहीं हुआ है, और इस वन अपराध में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है।

(2) आवेदक के आय का एक मात्र साधन ट्रैक्टर ही है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निम्न न्यायालय के द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए ट्रैक्टर को मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया।

निम्न न्यायालय के आदेश, अपीलार्थी के द्वारा रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है किः—

(i) जप्त 07 टन वाहन पर एवं 05 टन जमीन पर पड़ा कोयला इन्दरा जंगल नापो अधिसूचित वन के प्लॉट संख्या 2510 से उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था। इस संबंध में भारतीय वन अधिनियिम 1927 की धारा—2 के तहत वन पदार्थ को परिभाषित किया गया है। जप्त कोयला पोटंगा अधिसूचित वन के प्लॉट संख्या 1649 से उत्खनन किया गया है। प्रश्नगत प्लॉट अधिसूचित वन भूमि है उक्त अधिसूचित वन में कोयला का उल्खनन करना भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 30 के तहत वर्जित है। जप्त कोयला वन पदार्थ की श्रेणी में आता है।

(ii) जप्त वाहन भारतीय वन अधिनियम 1927 संशोधित 1989 की धारा 33(बी)(सी) 41,42 के तहत वन अपराध में लिप्त है।

(iii) घटना के समय अभियुक्त गश्ती दल को देखकर ट्रक को छोडकर भाग गये। उनके द्वारा ट्रक पर लदे कोयला से संबंधी कोई चालान आदि कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही घटना के बाद ही कोयला से संबंधित कोई कागजात उपलब्ध कराई गई।

उपायुक्त का न्यायालय हजारीबाग

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

(iv) वन विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बताया गया कि प्रतिबंधित क्षेत्र से कोयला उत्खनन कर जप्त वाहन से परिवहन कर भारतीय वन अधिनियम 1927 संशोधन 1989 की धारा 33, 41, 42 का उल्लंघन किया गया है एवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियमसंगत है साथ ही अपीलार्थी के अपील आवेदन अस्वीकृत करने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर विवेचना उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के बहस तथा अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन के आधार पर निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करने का कोई भी औचित्यपूर्ण आधार प्रस्तुत करने में अपीलार्थी असफल रहे। अतः अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति अपीलार्थी एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख के साथ संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, हजारीबाग।

उपायुक्त, हजारीबाग।

उपायुक्त का न्यायालय

Digitally signed by NANCY SAHAY
Date: 2024.07.13 17:21:01 +05:30
Location: 192.168.1.3